महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

निविदा प्रपत्र :

कार्य का नाम – खेलकूद गणवेश क्रय बाबत वार्षिक दर संविदा। **निविदा क्रमांक –** 16840 / 26/11/21

निविदा फॉर्म शुल्क	400/– रू.	निविदा फार्म शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की अवधि	03.12.2021 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
अनुमानित लागत	9,50,000/– रू.	निविदा खोलने की तिथि	04.12.2021 मध्यान्ह 02:00 बजे
धरोहर राशि	23,750/– रू. अथवा रू. 50/– स्टांप पर बिड सिक्यूरिंग डिक्लेरेशन फॉर्म (सलग्न)		

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण सं./जीएसटी .....(फोटो प्रति संलग्न करे)
3. निविदा फॉर्म शुल्क की राशि .....नकद रसीद सं. .....दिनांक..... द्वारा या रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. ..... दिनांक .....के द्वारा जमा करा दी गई हैं।
4. हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक .....में वर्णित सभी विशेष एवं सामान्य शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (निविदा के सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर मय सील अंकित कर दिये हैं।)
5. आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की दरें (जिसमें समस्त कर, छपाई शुल्क, परिवहन शुल्क आदि) संलग्न सूची के कॉलम में अंकित कर दी गई है।

   नोटः– निविदा में अंकित ब्राण्ड के अनुसार फर्म को ट्रेकसूट, टी–शर्ट, नेकर, सोक्स, कॉलर सहित टी–शर्ट, लोवर एवं ऑफिसीयल अपर के नमूने निविदा प्रपत्र (दस्तावेज) के साथ ही प्रस्तुत करने होंगे। संलग्न परिपत्र की सूची के कॉलम **मे ब्रांड एवं दरें अंकित करनी होंगी। अलग से अंकित दरें एवं नमूने , निविदा फीस व धरोहर राशि अथवा रू. 50/– के स्टांप पर बिड सिक्यूरिंग डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।**
6. बैंक ड्राफ्ट संख्या.....जो .....(बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या .....दिनांक ..... रूपये..... के लिये धरोहर राशि/बिड सिक्यूरिंग डिक्लेरेशन फॉर्म संलग्न किया जाता है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ सभी प्रकार के नमूने संलग्न है।
8. निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर आदि का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. आपूर्तित सामग्री का भुगतान सहायक निदेशक खेलकूद की संतोषप्रद टिप्पणी पश्चात ही किया जायेगा।
10. सभी आपूर्तित सामग्री की गारंटी 01 वर्ष की देनी होगी।
11. सभी नमूने सामान्य प्रशासन अनुभाग में निविदा के साथ भण्डारपाल को जमा कर प्राप्ति लेनी होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा कार्यदेश के अनुसार आपूर्ति खेलकूद विभाग में करनी होगी।
12. करार पत्र, धरोहर राशि व सामग्री आपूर्ति पश्चात मूल बिल की दो प्रतियां सामान्य प्रशासन अनुभाग में जमा करवानी होगी।
13. उक्त निविदा की शर्तों में किसी भी प्रकार का संशय/सलाह हेा तो कुलसचिव कार्यालय में दिनाक 29.11.21 समय 11.00 AM को प्री बिड आयोजित की जायेगी, प्री बिड में व्यक्तिगत उपस्थित होकर कय समिति के समक्ष लिखित में सलाह प्रस्तुत कर सकतें हैं। कय समिति द्वारा उचित समझने पर सलाह को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित कर अंतिम निर्णय पश्चात शुद्धि पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।

भाग (अ)

समस्त खेलों की गणवेश (टी–शर्ट, नेकर) की कुल दर प्रति सेट (समस्त कर, वेट, माल ढुलाई एवं छपाई सहित)।

क्र.सं.	खेल का नाम	दर प्रति सेट (टी–शर्ट, नेकर एवं सोक्स सहित)			
		Bolt	Select	Roksun	Shiv-Naresh
1.	Archery, Athletics, Badminton, Ball Badminton, Boxing, Chess, Cross Country, Cycling, Gymnastic, Judo, Karate, Pistol/Rifle Shooting, Swimming, Table Tennis, Tennis, Taekwondo, W/P Lifting, & Best Phy., Wrestling, Wushu, Yoga				
2.	BaseBall, Basket Ball, Football, Hockey, Handball, Kabaddi, Kho-Kho, Net Ball, SoftBall, VolleyBall				
3.	Cricket				
4.	Other Game Kit				

भाग (ब)

प्रति ट्रेकसूट की दर (समस्त कर, वेट, माल ढुलाई एवं छपाई सहित)

क्र.सं.	आईटम का विवरण	प्रति ट्रेकसूट की दर			
		Bolt	Select	Roksun	Shiv-Naresh
1.	ट्रेकसूट कपड़ा (Super-Polly)				

भाग (स)

प्रति ऑफिसीयल अपर की दर (समस्त कर, वेट, माल ढुलाई एवं छपाई सहित)

क्र.सं.	आईटम का विवरण	प्रति अपर की दर			
		Bolt	Select	Roksun	Shiv-Naresh
1.	ऑफिसीयल अपर कपड़ा (Super-Polly)				

भाग (द)

टी–शर्ट विद् कॉलर एवं लोअर की दरें (समस्त कर, वेट, माल ढुलाई एवं छपाई सहित)

क्र.सं.	आईटम का विवरण	टी–शर्ट विद् कॉलर एवं लोअर की इक्जाई दर			
		Bolt	Select	Roksun	Shiv-Naresh
1.	टी–शर्ट विद् कॉलर				
2.	लोअर कपड़ा (Super-Polly)				

नोट– उक्त सभी अंकित ब्राण्ड की दरें निर्धारित कॉलम में ही प्रस्तुत करें। अन्य ब्राण्ड की दरें एवं कॉलम के बाहर लिखी दरें मान्य नहीं होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

खेलकूद निविदा की विशेष शर्तें :–

1. **दर का अनुमोदन किस्म, गुणवत्ता एवं प्रचलित ब्राण्ड के आधार पर किया जावेगा।**
2. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप के भाग (अ), (ब), (स) एवं (द) के कॉलम में अंकित ब्रांड की ही दरें प्रस्तुत करें। कॉलम से अलग अंकित ब्रांड एवं दरें स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना दर एवं ब्रांड के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा के साथ फर्म को भाग (अ), (ब), (स) एवं (द) में अंकित ब्रांड के नमूने प्रस्तुत करने होंगे। बिना नमूनों के निविदा स्वीकार्य नही होगी।
4. सामग्री की आपूर्ति फर्म को खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथि अनुसार विश्वविद्यालय टीम की रवानगी से पूर्व समय–समय पर एवं आपूर्ति आदेश जारी होने के **01** दिवस में करनी होगी। परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
5. ट्रेकसूट एवं टी–शर्ट के फ्रन्ट मे उपर के भाग पर विश्वविद्यालय का लोगो एवं ट्रेकसूट मे पीठ पर विश्वविद्यालय का नाम अर्द्ध चन्द्राकार आकार मे जिसका साईज 12"X12" अंग्रेजी भाषा में केमिकल कलर से अंकित करना होगा। टी–शर्ट पर खेल में प्रचलन अनुसार **Numbering** अंकित करनी होगी। जिसका मूल्य अलग से स्वीकार्य नहीं होगा।
6. उक्त वार्षिक दर संविदा अनुबंध निष्पादन तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी जिसे खेल सत्र की मांग के आधार पर पारस्परिक सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
7. आपूर्ति अवधि में विलम्ब के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
8. फर्म के पास विश्वविद्यालय/राजकीय उपक्रम/राजकीय विभाग व राजकीय बोर्डो में गत 03 वर्षों में से कोई 01 वर्ष निविदा राशि के बराबर निविदा में उल्लेखित सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव प्रमाण पत्र सलग्न के बिना स्वीकार नहीं होगी।
9. फर्म के पास निविदा में अनुमानित राशि के बराबर गत 03 वर्षों में से कोई 02 वर्ष का सीए द्वारा अंकेक्षित टर्नऑवर होना आवश्यक हैं। बिना टर्नऑवर सर्टिफिकेट के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

खुली निविदा की सामान्य शर्तें :–

टिप्पणी: निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और अपनी निविदाएं भेजते समय इन का कठोरता से पालन करें।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।
2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं – निविदाएं केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्रारूप एस.आर.–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।**
3. (अ) फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पुनर्वती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं रहेगा।
   (ब) ठेकेदार द्वारा ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किए जायेंगे। जब तक कि वह/वे समस्त नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें अभिस्वीकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
4. **बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण** – कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्याक वर्णित करना होगा। प्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे तथा टंकित होंगे। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। गलतियों तथा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए एंव उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाये।
7. वर्णित की गई समस्त दरों पर रेल परिवहन निःशुल्क होना चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रीय राजस्थान बिक्री कर के सिवाय समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए, जिन्हें अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदान के मामलों में दरों में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और विश्वविद्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार सदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा।

8. i. दरों की तुलना राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर को घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रिय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

   ii. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

9. **मूल अधिमान–** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योग द्वारा उत्पादितया विनिर्मित माल पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।
10. **विधिमान्यता –** राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियमानुसार होगी।
11. ठेकेदार किसी अन्य अभिकरण को अपना ठेका या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशिक नहीं करेगा या उप पट्टे पर नहीं देगा।

12. निरीक्षणः–
    i. निविदाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जाता है और संबंधित व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाता है। उन डीलरों के मामलें में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ठ हुए है उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।
13. **नमूनेः– निर्धारित प्रपत्र मे अंकित वस्तुओं हेतु निविदाओं के साथ निविदत वस्तुओं के दो पैकट मे नमूनें होंगे। एक पैकेट मे विभिन्न खेलों की खेलकूद गणवेष (टी–शर्ट, नेकर एवं सोक्स सहित) एवं दूसरे पैकेट मे ट्रेकसूट के नमूने होगे।**
14. प्रत्येक नमूनों को उपर्युक्त रूप से अंकित किया जाएगा चाहे नमूनों पर लिखकर या पर्चों पर लिखकर टिकाऊ कागज पर लिखकर नमूनें पर सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा। उसमें निविदादाता का नाम और मद का क्रमांक जिसका वह अनुसूची में नमूना है, अंकित होंगे।
15. अनुमोदित नमूने संविदा की समाप्ति के पश्चात् छः (Six) मास की कालावधि तक निःशुल्क रखे जायेंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनो के रखे जाने की कालावधि के दौरान किसी नुकसान टूट–फूट या जो निरीक्षण के दौरान हुयी किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। कालावधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूने वापिस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से नमूनों को लौटाने हेतु प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। संविदा की समाप्ति के 9 के माह भीतर वापस न लिए गए नमूनों का समाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया जाएगा और उनके मूल्य आदि हेतु कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
16. अनुमोदित न किए गए नमूने विफल निविदादाता द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय इन नमूनों के प्रतिधारण काल के दौरान किसी जांच परीक्षण किए जाने के संबंध में होने वाले किसी नुकसान टूट–फूट या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वापस न लिए गए नमूनों का समपहरण हो जाएगा तथा उनके मूल्य आदि के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
17. यह प्रदाय प्राप्त हो तो वे यह सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण के अध्यधीन होंगे कि वे विनिर्देशों के या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जब आवश्यक हो या विहित हो या व्यवहार्थ हो तो परीक्षण इसी प्रकार के संस्थानों में प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों से परीक्षण के फलस्वरूप विहित विनिर्देशों के मानक के अनुरूप हो।
18. नमूने लिए जाना– परीक्षण के मामलें में नमूने निविदादाता की या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में लिए जाएंगे और उन्हें उनकी उपस्थिति में समुचित रूप से सील किया जाएगा। ऐसा एक सेट उन्हें दिया जाएगा। एक या दो प्रयोगशाला या परीक्षण गृह को भेजे जाएंगे तथा तीसरा चौथा अधिकारी द्वारा संदर्भ और अभिलेख हेतु रख लिया जाएगा।
19. परीक्षण व्यय– परीक्षण व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यदि निविदादाता द्वारा अविलम्ब परीक्षण की व्यवस्था किए जाने हेतु इच्छा व्यक्त की जाती है या परीक्षण परिणाम यह दर्शित करे कि नमूने विहित मानकों या विनिर्देशों अनुरूप नहीं है तो परीक्षण व्यय निविदादाता द्वारा संदेय होगा।
20. अस्वीकृत किया जानाः–
    i. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गई वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
    ii. तथापि, यदि कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अशर्त साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों की अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
21. अस्वीकृत की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएँ निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु उतरदायी नहीं होगा और अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटारा उस नीति से करावें जिसे वह उपयुक्त समझे।

22. निविदादाता इस बात हेतु उतरदायी होगा कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि रेल या सड़क द्वारा परिवहन की सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गतव्य पर प्रेषित को अच्छी दशा में सामग्री की सुपुर्दगी हो सके। किसी हानि नुकसान टूट–फूट या लीकेज या किसी भी कमी की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रेषित सामग्री के किए गए परीक्षण निरीक्षण में पाई गई किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
23. प्रदाय के ठेके को क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निराकरण निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किया जा सकेगा। अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
24. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।
25. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसकी दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्तानुसार स्वीकृत दरों पर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार समय–समय पर सामग्री की सप्लाई करनी होगी।
    i. मात्रा की सीमा पुनरादेश यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिए गए है तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा मे दी गयी दरों और इस पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा। यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है। कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नहीं है। यदि निविदादाता ऐसी क्रय में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था कर निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगा।
    ii. यदि क्रय अधिकारी निविदित वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

26. धरोहर राशि–

i. निविदा के साथ रूपये 23750/– अथवा बिड सिकयूरिंग डिक्लेरेशन फार्म की धरोहर राशि संलग्न होगी जिसके बिना निविदा विचार नही किया जाएगा। यह राशि **कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** के पक्ष में **ड्राफ्ट** द्वारा जमा कराई जानी होगी।
ii. असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
iii. धरोहर राशि से छूटः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियमानुसार होगी।

27. धरोहर राशि का समपहरण–

धरोहर राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा –

i. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
ii. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।
iii. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
iv. जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में विफल रहता हैं।

28. करार तथा प्रतिभूति निक्षेपः–

i. सफल निविदादाता को आदेश को प्राप्त होने से **07 दिन** की अवधि के भीतर **प्रारूप 17** में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएँ स्वीकार की गई है उनके मूल्य के **2.5 प्रतिशत** के बराबर **प्रतिभूति राशि** जमा करानी होगी।
ii. निविदा के समय जमा कराई गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में धरोहर राशि से कम नहीं होगी।
iii. विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
iv. प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/द्वारा विश्वविद्यालय मे जमा कराई जावेगी। प्रतिभूति जमा की राशि संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के तथा निविदादाताओं के विरूद्ध कोई देय बकाया में नहीं होने पर लौटाई जायेगी।
v. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निर्देशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।
vi. प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण–प्रतिभूति की रकम या निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः समपहरण किया जा सकेगा–
vii. (क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।

viii. (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

ix. (ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले मे उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

x. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का सम्यक् रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

xi. विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद का निपटारा होने पर कर दिया जायेगा।

xii. उस माल के प्रकरण में संदाय जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किया जाएगा परीक्षण के लिए प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देया के अनुरूप पाए जाएं।

29. **शर्तें :–**

i. निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा निविदादाता क्रय अधिकारी से क्रय आदेश की प्राप्ति कर कालावधि के भीतर सप्लाई करेगा।

ii. निर्धारित नुकसान–निर्धारित नुकसान सहित परिदानर कालावधि की वृद्धि के मामले में जिसका प्रदान करने से निविदादाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी।

iii. (क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब 2.5 प्रतिशत।

(ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक का विलम्ब 5 प्रतिशत।

(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनाधिक कालावधि का विलम्ब 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब 10 प्रतिशत।

iv. प्रदाय मे विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो।

v. निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।

vi. यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदान पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उक्त प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित मे तुरन्त आवेदन करेगा जिसने प्रदाय आदेश दिया है कि किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात् नहीं।

vii. यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

30. वसूलिया निर्धारित नुकसान न्यून प्रदाय, टूट–फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में वसूलियां रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है निक्षेप की जाएगी। यदि वसूलियां संभव न हो तो राजस्थान लोक पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

31. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

i. भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।

ii. यदि फर्मो के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष।

iii. एक मात्र स्वत्याधारित की दिशा में निवास तथा कार्यालय का पता टेलीफोन संख्याक।

iv. कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार प्राप्त जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

33. विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा, तथा न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।

34. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में ही स्थित न्यायालय में संस्थित की जाएगी अन्यत्र नहीं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमनें जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

संलग्नः– उक्तानुसार

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

अनुलग्नक– 'अ'

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति–

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है, जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है, जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

अनुलग्नक– "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक..... के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते है कि :–

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरूद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान : .....
तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड़, बीकानेर राजस्थान

अनुलग्नक– 'स'

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद एवं पता..... कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद एवं पता..... संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा जयपुर

01. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदविहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा;

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तिय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहा वित्तिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा– 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, अपील पर यथासंभवशीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा।

   अर्थातः

   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   खः बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   गः यह विनिश्चय की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं

   घः निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।

   ङः गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।
4. **अपील का प्रारूपः–** (1) धारा 38 की उपधारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

   (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
5. **अपील फाइल करने के लिए फीसः–**

   (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रियाः–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक ''द''

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

3. . अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण

परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. **अपीलार्थी की विशिष्टियां :**
   - (i) अपीलार्थी का नाम :– .....
   - (ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो : .....
   - (iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्याः
6. अपील का आधार :

   .....

   .....

   .....

   ..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

   भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)
7. प्रार्थना : .....

   .....

   .....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर :

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :----------

Name :----------

In the capacity of :----------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ----------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]